

05
02/25

पत्रावली पेश हुई।

प्रकरण में तहसीलदार बाली के कार्यालय
पत्रांक:- भू.अ/2024/3295 दिनांक 24-12-2024
से विस्तृत जांच रिपोर्ट प्राप्त लेकर शामिल
पत्रावली ले चुकी है। वकील प्रार्थी श्री इंदराम
वैधरी द्वारा दलील दी गई कि प्रार्थी के
प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को भूमि-
धारी तहसीलदार बाली व ~~उसके~~ उनसे प्रतिनि-
धियों ने स्वीकार किया है। अतः प्रार्थी
के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए
तहसील ऑनलाइन कार्यक्रम सेग्रिकेशन
के दौरान पटवारी हलका भीरवाडा द्वारा
खसरा नं. 547/1 रकबा 5.61 हेक्टेयर
किस्म गैर मुमकिन पहाड़ की तरमीम
मौका स्थिति के विपरीत गोचर की
भूमि खसरा नं. 547/4 के स्थान पर की
जाने तथा उक्त इन्द्राज मौका स्थिति
के विपरीत होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी
स्वीकार कर नक्शे में तरमीम शुद्धि किये
जाने की दलील दी। पत्रावली व उपलब्ध
रिकॉर्ड का अध्ययन किया गया तथा प्रस्तुत
रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। तहसील-
दार बाली की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम
दांतीवाड़ा के खसरा नं. 547/4 रकबा
77.04 हेक्टेयर की भूमि गोचर दर्ज है।
तथा खसरा नं. 639, 640, 643, 658, 660,
661, 663, 664, 680/1, 680/2, 681 के
ऊपरी भाग में कितनी प्रकार से गायों के
चरने योग्य भूमि नहीं है। वहां पर रकबा
5.61 हेक्टेयर पर गैर मुमकिन पहाड़ है।
जिसमें प्राचीन गोरखनाथ एवं शिवजी का
मंदिर है। इसी प्रकार ख. नं. 547/1 रकबा
5.61 हेक्टेयर गैर मुमकिन पहाड़ की तरमीम



3

सहायक कलक्टर एवं बंदेन
उपसचिव अधिकारी, बाली

जहां पर हुई है, वहां पर पहाड़ न होकर चराई योग्य भूमि है। इस प्रकार 547/1 रकबा 5.61 हेक्टेयर भूमि को गोचर से खारिज कर पहाड़ दर्ज करने तथा उसके बदले 5.61 हेक्टेयर भूमि पहाड़ से गोचर के रूप में मौका स्थिति अनुसार खसरा नं. 547/4 में मर्ज किए जाने की ~~तस्वील~~ अनुशंसा की। पञ्जावली व उपलब्ध रिकॉर्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि प्रार्थी द्वारा मौका स्थिति के विपरीत तस्वीम करे से मौके की स्थिति के अनुसार राजस्व नक्शे में तस्वीम की मांग की गई है। जिस तथ्य को तस्वीलदार वाली ने भी अपनी जांच रिपोर्ट में स्वीकार किया है। जिससे मौका स्थिति के अनुसार चांतीवाड़ा के खसरा नं. 547/1 रकबा 5.61 हेक्टेयर को ^{गै.मु.} पहाड़ से खारिज कर खसरा नं. 547/4 रकबा 77.07 हेक्टेयर गै. मु. गोचर में मर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं तथा खसरा नं. 547/4 रकबा 77.07 हेक्टेयर गोचर में से 5.61 हेक्टेयर खारिज कर गैर मुमकिन पहाड़ दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं चूंकि उक्त प्रकरण में मौका स्थिति के अनुसार गोचर से पहाड़ तथा पहाड़ से गोचर दर्ज / विनिमय के माध्यम से हो रहा है। अर्थात् न तो गैर मुमकिन पहाड़ का रकबा कम हो रहा है एवं न ही गोचर का। तस्वीलदार वाली एवं पटवारी हल्का भीष्मवाड़ा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व नजरी नक्शा को आदेश का भाग माना जावे। तस्वीलदार वाली आदेशानुसार नक्शे में सुद्धि कर पालना सुनिश्चित करें। पञ्जावली फैंसल शुमार लेकर नंबर से कम हो।



सहायक कमिश्नर एवं बदेन
ज्यल्लय अधिकारी, बाली

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी (प्रतलिपि)

दिनांक : 12/12/2024 05:50:39 PM

जिला : पाली

तहसील : बाली

भू. अ. नं. क्षेत्र : मोखमपुरा

पटवारी हल्का : भीटवाडा

ग्राम : दातीवाडा



547/3

547/4



547

उपरोक्त
ख. नं. 547

547/1

547/2

639

रकबा 5.61 हेक्टर
गै.मु.पहाड़ से खास करके

ख. नं. 547 रकबा

77.17 हेक्टर

भू. अ. नं. 547

612

624/3

624/2

640

613

624/1

624

625

625/1

638

1044/640

642

643

Scale 1:4000

खसरा संख्या : 547/1 क्षेत्रफल : 5.6100 Hectare खाता संख्या : 1 पुराना खाता संख्या : 1

भूमि का सिद्धांत [क्षेत्रफल लगान] : गै.मु.पहाड़ [5.6100]

राज. सरकार

तहसीलदार (भू.अ.) बाली

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

प. अ. नं. 547

23/12/24

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रारंभ की जानकारी के लिए है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. प्रदृष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null